

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2020

**सं. 02/2020-एकीकृत कर (दर)**

**सा.का.नि. 222(अ).**—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1), (3) और उप-धारा (4), धारा 6 की उप-धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्यों (iii) और (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 25 के समक्ष,

- (i) मद (i) के पश्चात, और कालम (3), (4) और (5) में दी गयी उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

| (3)                                                                                                          | (4) | (5) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| “(i) वायुयान, वायुयान के इंजन और वायुयान के अन्य घटक और कल-पुर्जों की देख-भाल, मरम्मत या ओवरहोलिंग की सेवाएँ | 5   | -”  |

- (ii) मद (ii) में, कालम (3) में, कोष्ठक और अंक “(i)” के पश्चात शब्द, कोष्ठक और अंक “और (ii)” को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/32/2020-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, निदेशक

**नोट :** प्रधान अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 683(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 25/2019-एकीकृत कर (दर), दिनांक 22 नवम्बर, 2019, सा. का. नि. 871(अ), दिनांक 22 नवम्बर, 2019 के द्वारा संशोधन किया गया है।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2020

**No. 02/2020-Integrated Tax (Rate)**

**G.S.R. 222(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (3) and sub-section (4) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clauses (iii) and (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 8/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 25,

(a) after item (i) and entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following items and entries shall be inserted, namely, -

| (3)                                                                                                                              | (4) | (5) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| “(ia) Maintenance, repair or overhaul services in respect of aircrafts, aircraft engines and other aircraft components or parts. | 5   | -”  |

(b) in item (ii), in column (3), after the brackets and figures “(i)”, the word, brackets, and figures “and (ia)” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of April, 2020.

[F. No. 354/32/2020-TRU]

PRAMOD KUMAR, Director

**Note :** The principal notification No. 8/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 25/2019-Integrated Tax (Rate), dated the 22<sup>nd</sup> November, 2019 vide number G.S.R. 871(E), dated the 22<sup>nd</sup> November, 2019.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2020

सं. 02/2020-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

**सा.का.नि. 223(अ).**—केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1), (3) और उप-धारा (4), धारा 8 की उप-धारा (1) और धारा 21 के खंड (iv) और खंड (xxvii) के तहत शक्तियों का प्रयोग कराते हुये केंद्र सरकार, जी एस टी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुये कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा.का.नि. 702(अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 25 के समक्ष,

(i) मद (i) के पश्चात, और कालम (3), (4) और (5) में दी गयी उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

| (3)                                                                                                           | (4) | (5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| “(ik) वायुयान, वायुयान के इंजन और वायुयान के अन्य घटक और कल-पुर्जों की देख-भाल, मरम्मत या ओवरहोलिंग की सेवाएँ | 2.5 | -”  |

(ii) मद (ii) में, कालम (3) में, कोष्ठक और अंक “(i)” के पश्चात शब्द, कोष्ठक और अंक “और (iik)” को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/32/2020-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, निदेशक